



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02112020-222896
CG-DL-E-02112020-222896

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 459]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 2, 2020/कार्तिक 11, 1942

No. 459]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 2, 2020/KARTIKA 11, 1942

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मई, 2020

सं. ईको-1/2020-केविआ.—“वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा ऊर्जा की उपाप्ति के लिए बोली प्रक्रिया द्वारा टैरिफ का अवधारण करने हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत” संबंधी विद्युत मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित तारीख 19.01.2005 की अधिसूचना के खंड 5.6 (vi) के अनुसरण में, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग संदाय के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित वृद्धि दरों को अधिसूचित करता है।

उपरिलिखित मार्गनिर्देशों के अंतर्गत हुए ऊर्जा क्रय करार के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा ऊर्जा की उपाप्ति के लिए 01.04.2020 और 30.09.2020 के बीच की अवधि के लिए संदाय प्रयोजन हेतु लागू वार्षिक वृद्धि दरें:

क्र.सं.	विवरण	भुगतान हेतु वार्षिक वृद्धि दर
1.	स्वदेशी कोयला के लिए वृद्धि दर	0.00%
2.	स्वदेशी गैस के लिए वृद्धि दर	-1.42%
3.	आयातित कोयले पर आधारित संयंत्रों के लिए ऊर्जा प्रभार के विभिन्न वृद्धि योग्य उप-संघटकों हेतु वृद्धि दर	

3.1	आयातित कोयले के लिए वृद्धि दर	-4.94%
3.2	आयातित कोयले के परिवहन के लिए वृद्धि दर	3.54%
3.3	आयातित कोयले की अंतर्देशीय उठाई-धराई के लिए वृद्धि दर	6.23%
4.	कोयले के अंतर्देशीय परिवहन प्रभार हेतु वृद्धि दरें	
4.1	125 किलोमीटर की दूरी तक	0.00%
4.2	500 किलोमीटर की दूरी तक	0.00%
4.3	1000 किलोमीटर की दूरी तक	0.00%
4.4	2000 किलोमीटर की दूरी तक	0.00%
4.5	2000 किलोमीटर के बाद की दूरी तक	0.00%
5.	गैस के लिए अंतर्देशीय परिवहन प्रभार हेतु वृद्धि दरें	119.02%
6.	आयातित गैस पर आधारित संयंत्रों के लिए ऊर्जा प्रभार के विभिन्न वृद्धि योग्य उप-संघटक के लिए वृद्धि दरें	
6.1	आयातित गैस के लिए वृद्धि दर	-7.52%
6.2	आयातित गैस के परिवहन के लिए वृद्धि दर	3.54%
6.3	आयातित गैस की अंतर्देशीय उठाई-धराई के लिए वृद्धि दर	6.23%
7.	सूचकांक क्षमता प्रभार संघटक को लागू की जाने वाली मुद्रास्फीति दर	6.23%
8.	कैप्टिव ईंधन स्रोत की दशा में, सूचकांक ऊर्जा प्रभार संघटक को लागू की जाने वाली मुद्रास्फीति दर	3.14%

सनोज कुमार झा, सचिव

[विज्ञापन-III / 4 / असा. / 312 / 2020-21]

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th May, 2020

No. Eco-1/2020-CERC.—In pursuance of Clause 5.6 (vi) of Ministry of Power Notification on “Guidelines for Determination of Tariff by Bidding Process for Procurement of Power by Distribution Licensees”, dated 19.01.2005, as amended from time to time, the Central Electricity Regulatory Commission (CERC) notifies the following escalation rates for the purpose of payment.

Annual Escalation Rates applicable for the period from 01.04.2020 to 30.09.2020 for the purpose of payment for Procurement of Power by Distribution Licensees as per the Power Purchase Agreement entered into under the guidelines mentioned above:

S.No.	Description	Annual Escalation Rates for Payment
1	Escalation rate for domestic coal	0.00%
2	Escalation rate for domestic gas	-1.42%
3	Escalation rates for different escalable sub-components of energy charge for plants based on imported coal	

3.1	Escalation rate for imported coal	-4.94%
3.2	Escalation rate for transportation of imported coal	3.54%
3.3	Escalation rate for inland handling of imported coal	6.23%
4	Escalation rates for inland transportation charges for coal	
4.1	Upto 125 Km distance	0.00%
4.2	Upto 500 Km distance	0.00%
4.3	Upto 1000 Km distance	0.00%
4.4	Upto 2000 Km distance	0.00%
4.5	Beyond 2000 Km distance	0.00%
5	Escalation rate for inland transportation charges for gas	119.02%
6	Escalation rates for different escalable sub-components of energy charge for plants based on imported gas	
6.1	Escalation rate for imported gas	-7.52%
6.2	Escalation rate for transportation of imported gas	3.54%
6.3	Escalation rate for inland handling of imported gas	6.23%
7	Inflation rate to be applied to indexed capacity charge component.	6.23%
8	Inflation rate to be applied to indexed energy charge component in cases of captive fuel source	3.14%

SANOJ KUMAR JHA, Secy.
[ADVT-III/4/Exty./312/2020-21]